



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

## उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

### रुड़की

खण्ड-26] रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 11, 1947 शक सम्वत्) [संख्या-31

#### विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

| विषय                                                                                                                                                                                                    | पृष्ठ संख्या | वार्षिक चन्द्रा |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...                                                                                                                                                                               | —            | रु० 3075        |
| भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...                                                                                                        | 623-625      | 1500            |
| भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञाएं, विज्ञप्तियाँ इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...                                            | 263-276      | 1500            |
| भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...    | —            | 975             |
| भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ... | —            | 975             |
| भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...                                                                                                                                                              | —            | 975             |
| भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...                                                                                                                                                                  | —            | 975             |
| भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...                                                                          | —            | 975             |
| भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ ...                                                                                                                  | —            | 975             |
| भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...                                                                                                                                                          | 327-333      | 975             |
| स्टोर्स पर्वेज-स्टोर्स पर्वेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...                                                                                                                                              | —            | 1425            |

## भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

## उच्च शिक्षा अनुभाग-1

## अधिसूचना

19 जुलाई, 2025 ई0

संख्या-720/XXIV-C-1/2025-01(10)2025 E-File No. 86208-सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा 16 में विहित प्राविधानानुसार विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक (वेतनमान-131100-216600 लेवल-13 ए) के रिक्त पद पर 03 वर्ष अथवा सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने, जो भी पहले हो, तक के लिए डॉ0 पंकज कुमार शाह, प्रो0 वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रबन्धन संकाय/रजिस्ट्रार, आग्रपाली विश्वविद्यालय शिक्षा नगर, लामाचौड़, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड को अस्थाई रूप से नियुक्त किया जाता है।

3-शासन के संज्ञान में कोई भी प्रतिकूल तथ्य आने पर उक्त नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना/नोटिस के समाप्त कर दी जायेगी।

डॉ रंजीत कुमार सिन्हा,  
सचिव,

## श्रम अनुभाग

## अधिसूचना

22 जुलाई, 2025 ई0

संख्या-803/VIII-1/25-331(श्रम)/2002-उत्तराखण्ड दुकान और स्थापन (रोजगार विनियमन एवं सेवा-शर्त) अधिनियम, 2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03 वर्ष, 2018) की धारा-26 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, श्री राज्यपाल, राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) के त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2025 हेतु विकासखण्डवार प्रथम चरण के मतदान दिवस दिनांक 24 जुलाई, 2025 (बृहस्पतिवार) एवं द्वितीय चरण के मतदान दिवस दिनांक 28 जुलाई, 2025 (सोमवार) को सम्बन्धित विकासखण्डों के क्षेत्रान्तर्गत स्थित समस्त कारखानों/दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कार्मिकों/कारीगरों/मजदूरों/श्रमिकों को उक्त अधिनियम की धारा-26 के उपबन्धों के अधीन, यदि उक्त दिवस को ऐसे कारखाने/दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अन्तर्गत मनाये जाने वाली सामान्य साप्ताहिक छुट्टी का दिन न हो तो मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश घोषित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कारखाने के विषय में निदेश दिये जाते हैं कि-

- कारखाने के विषय में यदि मतदान की तिथि दिनांक 24 जुलाई, 2025 (बृहस्पतिवार) एवं दिनांक 28 जुलाई, 2025 (सोमवार) साप्ताहिक अवकाश का दिन नहीं है, तो सम्बन्धित कारखाने के लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-135 (ख) के प्रावधानों के अधीन सवेतन अवकाश का दिन मनाया जायेगा तथा श्रमिकों को मतदान हेतु सवेतन सार्वजनिक अवकाश प्राप्त होगा।
- किन्तु अविरल प्रक्रिया (Continous Process) वाले कारखानों में कारखाना प्रबन्धक अपने समस्त कर्मचारियों/कर्मकारों को मतदान का समुचित एवं पर्याप्त (Responsible and Sufficient) अवसर प्रदान करेंगे तथा उन्हें मताधिकार से वंचित नहीं करेंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 श्रीधर बाबू अर्द्धाकी,

सचिव।

## कृषि एवं कृषक कल्याण अनुभाग-1

### कार्यालय-आदेश

17 जुलाई, 2025 ई0

संख्या-314738/ई-84267/XIII-1/2025-03(2)2003-एतद्द्वारा उत्तराखण्ड कृषि विभागान्तर्गत अपर कृषि निदेशक वेतनमान रू0 37400-67000 ग्रेड वेतन रू0 8700/- के पद पर कार्यरत श्री के0सी0 पाठक की नियमित चयनोपरान्त कृषि निदेशक वेतनमान रू0 37400-67000 ग्रेड वेतन रू0 10,000 के पद पर नियमित पदोन्नति करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. सम्बन्धित अधिकारी तत्काल अपना कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र सं0-1806, दिनांक 15.07.2025 द्वारा प्रदत्त अनुमति के अनुक्रम में निर्गत किया जा रहा है।

### कार्यालय-आदेश

17 जुलाई, 2025 ई0

संख्या-314744/ई-69922/XIII-1/2025-03(2)2003-एतद्द्वारा उत्तराखण्ड कृषि विभागान्तर्गत संयुक्त कृषि निदेशक वेतनमान रू0 15600-29100 ग्रेड वेतन रू0 7600/- के पद पर कार्यरत श्री अंजनी कुमार उपाध्याय की नियमित चयनोपरान्त श्री के0सी0 पाठक, अपर कृषि निदेशक के कृषि निदेशक के पद पर पदोन्नति उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने के फलस्वरूप अपर कृषि निदेशक वेतनमान रू0 37400-67000 ग्रेड वेतन रू0 8700 के रिक्त पद के सापेक्ष नियमित पदोन्नति करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. सम्बन्धित अधिकारी तत्काल अपना कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पत्र सं0-1805, दिनांक 15.07.2025 द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है। अतः श्री अंजनी कुमार उपाध्याय की तैनाती के सम्बन्ध में आदर्श आचार संहिता के पश्चात् पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डॉ0 आनन्द श्रीवास्तव,

अपर सचिव।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 अगस्त, 2025 ई0 (श्रावण 11, 1947 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज़ाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

UTTARAKHAND STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

HIGH COURT CAMPUS, NAINITAL

NOTIFICATION

June 30, 2025

No. 1391/III-A-04/2025/SLSA--Shri Bhavdeep Ravtey, Secretary, District Legal Services Authority, Champawat is hereby sanctioned Earned Leave for a period of 25 days w.e.f. 28.05.2025 to 21.06.2025 alongwith permission to suffix 22.06.2025 (Sunday holiday).

By order of the Hon'ble Executive Chairman.

Sd/-

**PRADEEP KUMAR MANI,**

*Member Secretary.*

NOTIFICATION

July 23, 2025

No. 1593/III-B-2009-10(IV)/SLSA/2025--

In exercise of the powers conferred under Section 22B of the Legal Services Authorities Act, 1987, provisions of the Permanent Lok Adalat (Other Terms and Conditions of Appointment of Chairman and Other Persons) Rules, 2003 and in pursuance of the recommendation letter no. 4569, dated 22<sup>nd</sup> July, 2025 of Hon'ble High Court of Uttarakhand, Hon'ble the Executive Chairman, Uttarakhand State Legal Services Authority, Nainital is pleased to assign the additional charge of the office of Chairmen, Permanent Lok Adalats, to the following Judicial Officers, in the districts mentioned against their names:--

NOTIFICATION

July 23, 2025

No. 1591/III(6)-B-2009-10/SLSA/2025--District Judge, Almora, is assigned the additional Charge of the office of Chairman, Permanent Lok Adalat, Almora, until further orders.

NOTIFICATION

July 23, 2025

No. 1592/III(7)-B-2009-10/SLSA/2025--District Judge, Pauri Garhwal, is assigned the additional Charge of the office of Chairman, Permanent Lok Adalat, Pauri Garhwal, until further orders.

Note :-- The above orders will come into force with immediate effect.

By order of the Hon'ble Executive Chairman.

Sd/-

PRADEEP KUMAR MANI,

Member Secretary.

कार्यालय डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल

विज्ञप्ति

24 जुलाई, 2025 ई0

पत्रांक-1789/चार-17(2025)टी.सी.यू.-डॉ. आर. एस. टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (उत्तराखण्ड संवर्ग बैच-2024) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु दिनांक 26 मई, 2025 से 23वें व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आयोजित की गयी विभागीय परीक्षा भाग-1 व भाग-2 में योगदान देने वाले निम्नलिखित परिवीक्षाधीन अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित विषयों में उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

| क्र.सं. | नाम परिवीक्षाधीन अधिकारी | विषय |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---------|--------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.      | श्री अंशुल भट्ट          | A    | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 2.      | डॉ. हर्षिता सिंह         | A    | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 3.      | श्री स्नेहिल कुंवर सिंह  | A    | B | C | D | E | F | G | H | I | J |

विषय संकेत:-

- |                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| A. आपराधिक वाद निर्णय लेखन                  | F. लोक प्रशासन                     |
| B. राजस्व वाद निर्णय लेखन                   | G. बजट एवं वित्तीय प्रक्रिया       |
| C. राजस्व नियम एवं अधिनियम तथा भू-सर्वेक्षण | H. स्थानीय निकाय एवं विविध अधिनियम |
| D. हिन्दी टिप्पणी एवं पत्र लेखन             | I. नियोजन एवं विकास                |
| E. जिला प्रशासन                             | J. कृषि एवं ग्राम्य विकास          |

नैनीताल, दिनांक: 24 जुलाई, 2025

बी. पी. पाण्डेय,  
महानिदेशक।

## कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

## हल्द्वानी सम्भाग, नैनीताल

## कार्यालयादेश

19 जुलाई, 2025 ई0

पत्रांक:-2363/प्रवर्तन/लाइ0नि0/2025-श्री करन पुत्र श्री प्रकाश बाबू निवासी-खन्ना बिल्डिंग के पीछे, निकट लक्की चिल्ड्रेन स्कूल बरेली उत्तर प्रदेश का दिनांक 22.06.2025 को वाहन संख्या यू0पी. 80 जी0एल0 4521 का शराब पीकर वाहन संचालन के अभियोग में पुलिस द्वारा चालान किया गया है। प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली हल्द्वानी नैनीताल द्वारा चालक लाइसेंस संख्या UP2520200028779 के विरुद्ध निलंबन/निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही की संस्तुति की गई। संस्तुति के पश्चात् वाहन चालक को उपरोक्त चालान के सम्बन्ध में कारण स्पष्ट करने के लिए नोटिस जारी किया गया। परन्तु चालक द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।

अतः मैं विपिन कुमार सिंह लाइसेंसिंग प्राधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-19 उप-धारा (1)(ए) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या UP2520200028779 को निरस्त करता हूँ।

विपिन कुमार सिंह,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

हल्द्वानी।

## कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

## टनकपुर (चम्पावत)

## कार्यालयादेश

17 जून, 2025 ई0

पत्रांक:-0844/निलम्बन/2025-वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलोडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह जून, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

| क्र. स. | लाइसेन्स धारक का नाम व पता                                                                     | लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता | संस्तुतिकर्ता अधिकारी | अभियोग                              | निलम्बन अवधि                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1       | श्री बच्चो नाथ सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, उचौलीगोठ, टनकपुर, जनपद चम्पावत।                   | UK-0320120010768                 | प्रवर्तन दल, टनकपुर   | तीव्र गति से वाहन का संचालन करना।   | दिनांक 17.06.2025 से दिनांक 16.09.2025 तक |
| 2.      | श्री हरीश सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, चकरपुर, बिहारी, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।                  | UK-0620100022533                 | प्रवर्तन दल, टनकपुर   | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना। | उपरोक्तानुसार                             |
| 3       | श्री भूपेश चन्द पुत्र श्री रामी चन्द, म.न. 886, बनबसा, चन्द फार्म, पोस्ट चन्दनी, जनपद चम्पावत। | UK-0320150027580                 | प्रवर्तन दल, टनकपुर   | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना। | उपरोक्तानुसार                             |
| 4       | श्री सुरेश सिंह महर पुत्र श्री बिशन सिंह महर, ग्राम उचौलीगोठ, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।      | UK-0319970011848                 | प्रवर्तन दल, टनकपुर   | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना। | उपरोक्तानुसार                             |

|     |                                                                                                                |                                  |                 |     |                                             |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 5.  | श्री राम किशोर पुत्र श्री माखन लाल, लाल ईमली पड़ाव, वार्ड नं. 07, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।                  | UK-0320230000919                 | प्रवर्तन टनकपुर | दल, | वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना।       | उपरोक्तानुसार                             |
| 6.  | श्री गौरव कुमार पुत्र श्री रघुवीर सिंह, शास्त्री नगर वार्ड, टनकपुर, जनपद चम्पावत।                              | UK-0320130014204                 | प्रवर्तन टनकपुर | दल, | सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना। | दिनांक 17.06.2025 से दिनांक 16.07.2025 तक |
| 7.  | श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री नित्यानन्द बगौली, फोरती, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।                                    | मैनुअल लाइसेन्स UA03/1407/K/2005 | प्रवर्तन टनकपुर | दल, | बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।        | दिनांक 17.06.2025 से दिनांक 16.09.2025 तक |
| 8.  | निशा कापड़ी पुत्र श्री भाष्कर दत्त कापड़ी, देशी फार्म, बनबसा, कैनाल रैज, जनपद चम्पावत।                         | UK-0320210001642                 | प्रवर्तन टनकपुर | दल, | बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।        | उपरोक्तानुसार                             |
| 9.  | श्री सलमान अली पुत्र श्री अशरफी अली, ग्राम मनीहारगोट, पोस्ट टनकपुर, जनपद चम्पावत।                              | UK-0320140019979                 | प्रवर्तन टनकपुर | दल, | बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।        | उपरोक्तानुसार                             |
| 10. | कु. वन्दना नयाल पुत्री श्री लक्ष्मण सिंह नयाल, म.न. 13, तहसील वार्ड, पोस्ट एवं तहसील खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर। | UK-0320130018199                 | प्रवर्तन टनकपुर | दल, | बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।        | उपरोक्तानुसार                             |

### कार्यालयादेश

28 जून, 2025 ई0

पत्रांक:-0904/निलम्बन/2025—वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जन सुरक्षा के दृष्टिगत हेलमेट/ओवरलॉडिंग/ओवर स्पीड/मोबाइल का प्रयोग/शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त वाहन चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति को निरहित (माह जून, 25) निम्न अवधि तक मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है :-

| क्र. स. | लाइसेन्स धारक का नाम व पता                                                                               | लाइसेन्स संख्या/श्रेणी एवं वैधता | संस्तुतिकर्ता अधिकारी   | अभियोग                                      | निलम्बन अवधि                              |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1       | श्री वसीम अहमद पुत्र श्री अब्दुल लतीफ, चिक्की तोला, लहरपुर, सीतापुर, उ.प्र.।                             | UP-20069016210                   | प्रवर्तन टनकपुर         | सवारी वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना। | दिनांक 28.06.2025 से दिनांक 27.07.2025 तक |
| 2       | श्री ऋषि ओली पुत्र श्री संजय ओली, नौगवाठगू, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।                                    | UK-0320170036944                 | प्रवर्तन टनकपुर         | बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।        | दिनांक 28.06.2025 से दिनांक 27.09.2025 तक |
| 3       | श्री वीरनेश कुमार पुत्र श्री दीनदयाल, ग्राम बिलहा खर्जूहा, पोस्ट रूपपुर कमालु, सुनगढ़ी, पीलीभीत, उ.प्र.। | UP-2620210011956                 | प्रवर्तन टनकपुर         | बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।        | उपरोक्तानुसार                             |
| 4       | श्री ध्यान सिंह पुत्र श्री सोवन सिंह, कान्छा अमोड़ी, जनपद चम्पावत।                                       | UK-0320200002585                 | प्रवर्तन टनकपुर         | बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।        | उपरोक्तानुसार                             |
| 5       | श्री मोहित खर्कवाल पुत्र श्री हिमेश चन्द्र, खर्क, जनपद चम्पावत।                                          | UK-0520220001389                 | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।        | उपरोक्तानुसार                             |
| 6       | श्री मनीष कापड़ी पुत्र श्री बलदेव कापड़ी, जयगाँव, जयतोलौ, जनपद चम्पावत।                                  | UK-0320180000941                 | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।        | उपरोक्तानुसार                             |
| 7       | श्री ललित सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह, पदंगा, मुरारी, बनलेख, जनपद चम्पावत।                              | UK-0320240007779                 | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।        | उपरोक्तानुसार                             |
| 8       | श्री दीपक शर्मा पुत्र श्री वृजपाल शर्मा, अम्बेडकर नगर, वार्ड नं. 03, टनकपुर, जनपद चम्पावत।               | UP-2220090010808                 | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | नशे की हालत में वाहन का संचालन करना।        | दिनांक 28.06.2025 से दिनांक 27.12.2025 तक |
| 9       | श्री गणेश सिंह पुत्र श्री हयात सिंह, ग्रा गुदमी पेंटर फार्म, बनबनसा, जनपद चम्पावत।                       | UK-0320250001298                 | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | बिना हेल्मेट के वाहन का संचालन करना।        | दिनांक 28.06.2025 से दिनांक 27.09.2025 तक |

|     |                                                                                                          |                   |                         |                                               |                                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 10. | श्री योगेन्द्र सिंह पाल पुत्र श्री जसराम पाल, निकट महाकवि कालीदास स्कूल नया पटेल नगर, उरई, जालौन, उ.प्र. | UP-9220210005663  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।           | उपरोक्तानुसार                             |
| 11. | श्री राजू सिंह पुत्र श्री उमेदी सिंह, पिपलिया, पिस्तौर, सितारगंज, जनपद ऊधम सिंह नगर।                     | UK-0620150104630  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।           | उपरोक्तानुसार                             |
| 12. | श्री सुमित पाल पुत्र श्री जयपाल, राजीव नगर, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।                                    | UK-0320240005104  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।           | उपरोक्तानुसार                             |
| 13. | श्री टंक प्रसाद भट्ट पुत्र श्री नारायण दत्त भट्ट, भजनपुर, बनबसा, चंदनी, जनपद चम्पावत।                    | UK-0320220001015  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।           | उपरोक्तानुसार                             |
| 14. | श्री हारून पुत्र श्री शाकिर अली, वार्ड नं. 06 रतन मड़िया केलखेरा, बाजपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर।             | UK-1820200000637  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | दोपहिया वाहन में क्षमता से अधिक सवारी बैठाना। | उपरोक्तानुसार                             |
| 15. | श्री दिनेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री दयानन्द जोशी, चल्थी, जनपद चम्पावत।                                     | UK-0320200002817  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।           | उपरोक्तानुसार                             |
| 16. | श्री शाहदाब पुत्र इब्राहिम अंसारी, वार्ड नं. 02, नई बस्ती, इस्लामनगर, खटीमा, जनपद ऊधम सिंह नगर।          | UK-0320230003253  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।           | उपरोक्तानुसार                             |
| 17. | श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, म.न. 10, मेहतोली, पतलिया, नरतोला, धारी, जनपद नैनीताल।       | UK-0420130106796  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करना।         | उपरोक्तानुसार                             |
| 18. | श्री अंकित सिंह बोहरा पुत्र श्री हयात सिंह, गल्ला गाँव, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।                           | UK-0320150024711  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।           | उपरोक्तानुसार                             |
| 19. | श्री सुभाष कुमार पुत्र श्री लीलाराम, ललुआपानी, नथना, जनपद चम्पावत।                                       | UK-0320220004959  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करना।         | उपरोक्तानुसार                             |
| 20. | श्री भुवन चन्द्र पुत्र श्री भैरव दत्त, वारसी, चौड़ा मेहता, पाटी, जनपद चम्पावत।                           | UK-0620110039205  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करना।         | उपरोक्तानुसार                             |
| 21. | श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री डी. एस. बोहरा, सूजन गाँव, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।                          | UK-0320040006378  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करना।         | उपरोक्तानुसार                             |
| 22. | शबीना खातून पुत्री श्री नसरुद्दीन, मनिहारगोट, जनपद चम्पावत।                                              | UK-0320160029772  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग करना।         | उपरोक्तानुसार                             |
| 23. | श्री गौरव बिनवाल पुत्र श्री पान देव बिनवाल, बिनवाल गाँव, जनपद चम्पावत।                                   | UK-0420210004431  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।            | उपरोक्तानुसार                             |
| 24. | श्री दीपक सिंह भण्डारी पुत्र श्री पूरन सिंह भण्डारी, 5 कुमाऊँ C/O APO अमृतसर                             | PIB-0220170324335 | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।            | उपरोक्तानुसार                             |
| 25. | श्री आयुष जोशी पुत्र श्री जीवन चन्द्र जोशी, भटकटीया, पिथौरागढ़                                           | UK-0520160026348  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।            | उपरोक्तानुसार                             |
| 26. | श्री अजय सिंह मेहता पुत्र श्री कुंवर सिंह मेहता, मेरीगैर, कलीगाँव, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।                | UK-0320170037245  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | नशे की हालत में वाहन का संचालन करना।          | दिनांक 28.06.2025 से दिनांक 27.12.2025 तक |
| 27. | श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री बालक राम, कर्मचारी कालोनी, टनकपुर, जनपद                                     | UK-0320230003922  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।           | दिनांक 28.06.2025 से दिनांक 27.09.2025 तक |
| 28. | श्री अंकित लोहिया पुत्र श्री हजारी प्रसाद मोहनपुर, आमबाग, टनकपुर, जनपद चम्पावत।                          | UK-0320220006109  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।           | उपरोक्तानुसार                             |
| 29. | श्री चन्द्र भाल पुत्र श्री तारा राम, कुकुहापुर, सिरनौर, गोला गोकर्न, लखीमपुर खीरी, उ.प्र.।               | UP-3120110021961  | प्रवर्तन दल, टनकपुर     | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना।           | उपरोक्तानुसार                             |
| 30. | श्री राकेश कुमार पुत्र श्री दीवान राम, राईकोट महर, लोहाघाट, जनपद चम्पावत।                                | UK-0320160030081  | पुलिस अधीक्षक, चम्पावत। | भार वाहन में क्षमता से अधिक माल ले जाना।      | उपरोक्तानुसार                             |

|     |                                                                                           |                  |                 |     |                                     |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----|-------------------------------------|---------------|
| 31. | श्री सूरज राठौर पुत्र श्री रामदास राठौर, ग्राम नायकगोट, टनकपुर, जनपद चम्पावत।             | UK-0320230001492 | प्रवर्तन टनकपुर | दल, | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना। | उपरोक्तानुसार |
| 32. | श्री रोमिल अन्ना पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह, पी-24/2 सोमनाथ एनक्लेव मेरठ कैन्ट, मेरठ, उ.प्र. | UP-1520200041622 | प्रवर्तन टनकपुर | दल, | तीव्र गति में वाहन का संचालन करना।  | उपरोक्तानुसार |
| 33. | श्री दान सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, ग्राम नदन्ना, चकरपुर, जनपद ऊधम सिंह नगर।               | AS-2820120000875 | प्रवर्तन टनकपुर | दल, | बिना हेलमेट के वाहन का संचालन करना। | उपरोक्तानुसार |

सुरेन्द्र कुमार,  
लाइसेंसिंग अथॉरिटी,  
टनकपुर चम्पावत।

### कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

30 नवम्बर, 2024 ई०

पत्रांक:-1452/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK06CB2128 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 426031DSZ007052 इंजन न० 70C62559936 वाहन स्वामी अख्तर खान पुत्र श्री दाद मोहम्मद निवासी-शास्त्री नगर वार्ड नम्बर 03 टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 26/11/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.11.2024 को वाहन संख्या UK06CB2128 (HGV) मॉडल 2007 चैचिस 426031DSZ007052 इंजन न० 70C62559936 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 दिसम्बर, 2024 ई०

पत्रांक:-1572/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या RJ10GA0744 (Goods Carrier) मॉडल 1991 चैचिस 81VFI23341P इंजन न० B282435VT वाहन श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री जंग बहादुर निवासी-सैलानीगोट टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 21/12/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.12.2024 को वाहन संख्या RJ10GA0744 (Goods Carrier) मॉडल 1991 चैचिस 81VFI23341P इंजन न० B282435VT को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 दिसम्बर, 2024 ई0

पत्रांक:-1573/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK03CA1561 (Goods Carrier) मॉडल 2009 चैचिस MAT37314591D07846 इंजन न0 697TC56DQZ105422 वाहन श्री रामवीर गिरी पुत्र श्री अनोखे गिरी निवासी-वर्मा लेन वार्ड नम्बर 03 टनकपुर, चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 19/12/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.12.2024 को वाहन संख्या UK03CA1561 (Goods Carrier) मॉडल 2009 चैचिस MAT37314591D07846 इंजन न0 697TC56DQZ105422 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

28 दिसम्बर, 2024 ई0

पत्रांक:-1574/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UP290885 (Goods Carrier) मॉडल 1999 चैचिस 84VFJ352689 इंजन न0 B66611SVF वाहन स्वामी मुशरफ पुत्र जाकिर हुसैन निवासी-मनिहारगोठ, पोस्ट-टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 24/12/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 28.12.2024 को वाहन संख्या UP290885 (Goods Carrier) मॉडल 1999 चैचिस 84VFJ352689 इंजन न0 B66611SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

01 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-1597/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK07PA1932 (BUS) मॉडल 2013 चैचिस MAT421049D0E03972 इंजन न0 31D84108269 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 09/02/2023 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 01.01.2025 को वाहन संख्या UK07PA1932 (BUS) मॉडल 2013 चैचिस MAT421049D0E03972 इंजन न0 31D84108269 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

01 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-1598/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK07PA1455 (BUS) मॉडल 2012 चैचिस MAT412049C0B3542 इंजन न0 21A84041850 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 03/02/2021 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 01.01.2025 को वाहन संख्या UK07PA1455 (BUS) मॉडल 2012 चैचिस MAT412049C0B3542 इंजन न0 21A84041850 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

01 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-1599/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK07PA2030 (BUS) मॉडल 2013 चैचिस MAT412285D0E04276 इंजन न0 31E84110296 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 04/09/2023 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 01.01.2025 को वाहन संख्या UK07PA2030 (BUS) मॉडल 2013 चैचिस MAT412285D0E04276 इंजन न0 31E84110296 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

01 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-1600/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK07PA2557 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MB1PCEFC6FPCM5854 इंजन न0 FCPZ111250 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 24/01/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 01.01.2025 को वाहन संख्या UK07PA2557 (BUS) मॉडल 2015 चैचिस MB1PCEFC6FPCM5854 इंजन न0 FCPZ111250 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

18 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-0079/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK038074 (MOTOR CYCLE) मॉडल 2009 चैचिस MD2DDDZZSPH59868 इंजन न0 DUUBSH63761 वाहन स्वामी श्री सन्जु बोरा पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी-मनिहारगोट, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 30/12/2024 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 18.01.2025 को वाहन संख्या UK038074 (MOTOR CYCLE) मॉडल 2009 चैचिस MD2DDDZZSPH59868 इंजन न0 DUUBSH63761 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

20 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-0082/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK03B9727 (MOTOR CAR) मॉडल 2004 चैचिस MA3EED81SOO266516 इंजन न0 F10DN4099799 वाहन स्वामी श्री सुनिल कुमार पुत्र श्री चन्द्रशेखर गहतोड़ी निवासी-मकान संख्या 37 ज्ञानखेड़ा तहसील टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 10/01/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 20.01.2025 को वाहन संख्या UK03B9727 (MOTOR CAR) मॉडल 2004 चैचिस MA3EED81SOO266516 इंजन न0 F10DN4099799 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

24 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-0099/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UP290889 (Goods Carrier) मॉडल 1999 चैचिस 81VFJ233129 इंजन न0 B30401SVF वाहन शखावत हुसैन पुत्र अहमद हुसैन निवासी-मनिहारगोट, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 09/01/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 24.01.2025 को वाहन संख्या UP290889 (Goods Carrier) मॉडल 1999 चैचिस 81VFJ233129 इंजन न0 B30401SVF को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

27 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-111/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK03CA0113 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 99VFJ77677P इंजन न0 VSH10611 वाहन स्वामी शराफत हुसैन पुत्र शखावत हुसैन निवासी-ग्राम विचई, मनिहारगोट टनकपुर चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 16/01/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 27.01.2024 को वाहन संख्या UK03CA0113 (HGV) मॉडल 2008 चैचिस 99VFJ77677P इंजन न0 VSH10611 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

30 जनवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-0136/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK03CA1475 (Goods Carrier) मॉडल 2001 चैचिस 373141FYZ714139 इंजन न0 697TC43FVZ876859 वाहन नाजिर हुसैन पुत्र कादिर हुसैन निवासी-मनिहारगोट, पोस्ट एण्ड तहसील-टनकपुर जिला-चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 22/12/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 30.01.2025 को वाहन संख्या UK03CA1475 (Goods Carrier) मॉडल 2001 चैचिस 373141FYZ714139 इंजन न0 697TC43FVZ876859 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

15 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-193/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UK03TA0232 (MOTOR CAB) मॉडल 2010 चैचिस MA3EAA61S01688114 इंजन न0 F8DN4447133 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन मनोज वर्मा पुत्र श्री किशोरी लाल वर्मा, निवासी-भैरवा, पोस्ट चम्पावत जिला-चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 14/02/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। चैसिस का टुकड़ा खोने के सम्बन्ध में पुलिस रिपोर्ट संलग्न है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 15.02.2025 को वाहन संख्या UK03TA0232 (MOTOR CAB) मॉडल 2010 चैचिस MA3EAA61S01688114 इंजन न0 F8DN4447133 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

17 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-202/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UA034755 (Goods Carrier) मॉडल 2006 चैचिस 373344J TZ012612 इंजन न0 697TC55JTC142808 वाहन स्वामी श्री त्रिलोक चन्द भट्ट पुत्र श्री माधवानन्द भट्ट निवासी-मकान संख्या 22 आमबाग, टनकपुर जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 10/02/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 17.02.2025 को वाहन संख्या UA034755 (Goods Carrier) मॉडल 2006 चैचिस 373344J TZ012612 इंजन न0 697TC55JTC142808 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

आदेश

24 फरवरी, 2025 ई0

पत्रांक:-228/पंजीयन निरस्त/2024-25-वाहन संख्या UA033153 (Maxi Cab) मॉडल 2005 चैचिस 52B11209 इंजन AB54B22687 वाहन स्वामी श्री कैलाश सिंह पुत्र सुन्दर सिंह निवासी-सिरमौली, ढेरनाथ जिला चम्पावत के नाम पंजीकृत है। दिनांक 18/02/2025 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैचिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः मैं सुरेन्द्र कुमार, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 55(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये दिनांक 24.02.2025 को वाहन संख्या UA033153 (Maxi Cab) मॉडल 2005 चैचिस 52B11209 इंजन AB54B22687 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

सुरेन्द्र कुमार,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)।

## कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन, काशीपुर

## कार्यालयादेश

03 जुलाई, 2025 ई0

पत्रांक:-1861/लाइसेन्स/UK-0620130068618-निरस्त/2025-श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह निवासी-ग्राम भवानीपुर दादुवाला जसपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड द्वारा अपने ड्राइविंग लाइसेंस संख्या-UK-0620130068618 के परिवहन यान श्रेणी के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया। उक्त ड्राइविंग लाइसेंस गैर परिवहन यान श्रेणी हेतु दिनांक 13.02.2033 तथा परिवहन यान श्रेणी हेतु दिनांक 02.06.2025 तक वैध था। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन संख्या-2153352425 दिनांक 03.06.2025 के माध्यम से उक्त लाइसेंस के परिवहन यान श्रेणी के नवीनीकरण हेतु कार्यालय में आवेदन किया गया तथा अपने आवेदन पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल0डी0भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर से निर्गत मेडिकल प्रमाण पत्र (प्रारूप 1 क) संलग्न किया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल.डी.भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर द्वारा अपने पत्र संख्या GE(C)1354/XXXV-2/2025 (1)2024-2025/2020 दिनांक 21.03.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "कतिपय शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज की है कि ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय काशीपुर के बाहर कतिपय व्यक्तियों द्वारा फर्जी मेडिकल बनाया जाता है जिस कारण उनके द्वारा कार्यालय में आने वाले मेडिकल का सत्यापन एल0डी0 भट्ट उप जिला चिकित्सालय, काशीपुर से कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है"।

उक्त पत्र के क्रम में इस कार्यालय पत्रांक संख्या 1387/लाइसेंस-चिकित्सा परीक्षण/2025 दिनांक 04.06.2025 के द्वारा श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह निवासी-ग्राम भवानीपुर दादुवाला जसपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत मेडिकल प्रमाण पत्र (प्रारूप 1 क) ईमेल के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल.डी.भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर को सत्यापन हेतु प्रेषित किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल.डी.भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर द्वारा अपने ईमेल पत्र दिनांक 06.06.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाणपत्र वास्तविक नहीं है तथा उनके चिकित्सालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है। उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1584/लाइसेंस-निरस्तीकरण नोटिस/2025 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा आवेदनकर्ता श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह को फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र (प्रारूप 1 क) प्रस्तुत कर लाइसेंस नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु नोटिस जारी किया गया था। उक्त के क्रम में आवेदनकर्ता श्री मंजीत द्वारा दिनांक 23.06.2025 को अपना लिखित स्पष्टीकरण अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जोकि संतोषजनक नहीं है।

अतः मैं पूजा नयाल लाइसेंसिंग प्राधिकारी मोटर वाहन विभाग काशीपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 (ड) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए आवेदनकर्ता श्री मनजीत सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह निवासी-ग्राम भवानीपुर दादुवाला जसपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड को जारी स्थाई लाइसेंस संख्या UK-0620130068618 जोकि परिवहन यान श्रेणी हेतु दिनांक-05.06.2030 तक वैध है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

### कार्यालयादेश

04 जुलाई, 2025 ई0

पत्रांक:-1862/लाइसेंस/UK-1820180001787-निरस्त/2025-श्री मौ0 अजीम पुत्र श्री अब्दुल राशिद नि0-मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी खालिक कालोनी रोड, काशीपुर उत्तराखण्ड द्वारा अपने ड्राइविंग लाइसेंस संख्या-UK-1820180001787 के गैर परिवहन यान श्रेणी (एलएमवी) के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया। उक्त ड्राइविंग लाइसेंस गैर परिवहन यान श्रेणी हेतु दिनांक 13.05.2025 तक वैध था। आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन संख्या 1917414525 दिनांक 17.05.2025 के माध्यम से उक्त लाइसेंस के गैर परिवहन यान श्रेणी के नवीनीकरण हेतु कार्यालय में आवेदन किया गया तथा अपने आवेदन पत्र के साथ मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल0डी0भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर से निर्गत मेडिकल प्रमाण पत्र (प्रारूप 1 क ) संलग्न किया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल.डी.भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर द्वारा अपने पत्र संख्या GE(C)1354/XXXV-2/2025 (1)2024-2025/2020 दिनांक 21.03.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि "कतिपय शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दर्ज की है कि ए0आर0टी0ओ0 कार्यालय काशीपुर के बाहर कतिपय व्यक्तियों द्वारा फर्जी मेडिकल बनाया जाता है जिस कारण उनके द्वारा कार्यालय में आने वाले मेडिकल का सत्यापन एल0डी0 भट्ट उप जिला चिकित्सालय, काशीपुर से कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है"।

उक्त पत्र के क्रम में इस कार्यालय पत्रांक संख्या 1387/लाइसेंस-चिकित्सा परीक्षण/2025 दिनांक 04.06.2025 के द्वारा मौ0 अजीम पुत्र श्री अब्दुल राशिद द्वारा प्रस्तुत मेडिकल प्रमाण पत्र (प्रारूप 1 क) ईमेल के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल.डी.भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर को सत्यापन हेतु प्रेषित किया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधीक्षक एल.डी.भट्ट उप जिला चिकित्सालय काशीपुर द्वारा अपने ईमेल पत्र दिनांक 06.06.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि मौ0 अजीम द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा प्रमाणपत्र वास्तविक नहीं है तथा उनके चिकित्सालय द्वारा निर्गत नहीं किया गया है।

उक्त के क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1580/लाइसेंस- निरस्तीकरण नोटिस/2025 दिनांक 10.06.2025 के द्वारा आवेदनकर्ता मौ0 अजीम पुत्र श्री अब्दुल राशिद नि0-मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी खालिक कालोनी रोड, काशीपुर उत्तराखण्ड को फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र (प्रारूप 1 क) प्रस्तुत कर लाइसेंस

नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने हेतु नोटिस पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया था। उक्त के क्रम में आवेदनकर्ता श्री मौ० अजीम द्वारा दिनांक 21.06.2025 को अपना लिखित स्पष्टीकरण अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जोकि संतोषजनक नहीं है।

अतः मैं पूजा नयाल लाइसेंसिंग प्राधिकारी मोटर वाहन विभाग काशीपुर उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 (ड) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए आवेदनकर्ता मौ० अजीम पुत्र श्री अब्दुल राशिद नि०-मोहल्ला लक्ष्मीपुर पट्टी खालिक कालोनी रोड, काशीपुर उत्तराखण्ड को जारी स्थाई लाईसेंस संख्या UK-1820180001787 जोकि गैर परिवहन यान श्रेणी (एलएमवी) हेतु दिनांक-13.05.2035 तक वैध है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी,  
मोटर वाहन विभाग,  
काशीपुर, उधमसिंह नगर।



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 02 अगस्त, 2025 ई० (श्रावण 11, 1947 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

## सूचना

मेरे CRPF के सेवा अभिलेखों में मेरी पत्नी का घरेलू नाम LATA KHULBEY दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पत्नी का वास्तविक नाम LALITA है। जो उसके आधार कार्ड नं. 523471512127/पेन कार्ड नं० BRDPD6616E व शैक्षिक प्रमाण-पत्रों में भी दर्ज है। ये दोनों की नाम मेरी पत्नी के हैं। भविष्य में मेरी पत्नी को LALITA पत्नी DHEERAJ KUMAR के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

DHEERAJ KUMAR

निवासी-म०सं० 06, लुटाबढ़

रामनगर रेंज नैनीताल उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 864344831621 में उसका नाम ईशान गुप्ता (ISHAN GUPTA) दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम ईशान गुप्ता (ISHAN GUPTA) से बदलकर शौर्य गुप्ता (SHAURYA GUPTA) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं. 3244 में भी दर्ज हैं भविष्य में मेरे पुत्र को शौर्य गुप्ता (SHAURYA GUPTA) पुत्र श्री रितेश गुप्ता के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

रितेश गुप्ता

निवासी 149 रेलवे रोड, कुम्हारों वाली गली  
गणेशपुर रुड़की जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं० 753784404508 में उसका नाम वियांशी हरी शर्मा (VIYANSHI HARI SHARMA) दर्ज है। लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपनी पुत्री का नाम वियांशी हरी शर्मा (VIYANSHI HARI SHARMA) से बदलकर श्रीधि हरि शर्मा (SHRIDHI HARI SHARMA) कर लिया है। जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं० B-2023:5-90069-008455 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को श्रीधि हरि शर्मा (SHRIDHI HARI SHARMA) पुत्री श्री भरत हरी के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

भरत हरी

निवासी म०नं० 317/1, न्यू नं० 429  
चुन्नीलाल गली वेस्ट अम्बर तालाब  
रुड़की जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नं. 370727705532 में त्रुटिवश उसका नाम वेदान्त डोभाल (Vedant Dobhal) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम वेदांश डोभाल (Vedansh Dobhal) है। जो कि उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण सं. 834/2015 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को वेदांश डोभाल (Vedansh Dobhal) पुत्र श्री विनोद प्रसाद के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विनोद प्रसाद

निवासी-प्रतीत नगर, रायवाला, देहरादून  
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरी पुत्री नम्रता सूरी के हाईस्कूल की अंकतालिका जिसका रजि. नं. U120/57196/0138 रोल नं. 25108599 इण्टरमीडिएट रजि. नं. U222/81531/0059603268 जी.आर.डी एकेडमी निरंजनपुर देहरादून में पिता का नाम जोगेन्द्र सूरी गलत दर्ज हो गया है। जबकि प्रमाण पत्रों के अनुसार सही नाम जोगेन्द्र पाल सूरी है। पुत्री नम्रता सूरी की हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका में पिता का नाम जोगेन्द्र पाल सूरी न्यायोचित है।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

जोगेन्द्र पाल सूरी 339/1 गुरुद्वारा  
कालोनी, क्लेमेन्टाउन देहरादून,  
(उत्तराखण्ड)

सूचना

मेरी पुत्री के आधार कार्ड नं० 939790687733 में त्रुटिवश उसका घरेलू नाम रोलि गर्ग (Roli Garg) दर्ज हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम रक्षा गर्ग (Raksha Garg) है जो उसके जन्म प्रमाण-पत्र पंजीकरण संख्या 20100911984 में भी दर्ज है। भविष्य में मेरी पुत्री को रक्षा गर्ग (Raksha Garg) पुत्री श्री विकास गर्ग के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विकास गर्ग  
निवासी विद्या विहार कारगी रोड़  
देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधारकार्ड नं० 678016552706 में त्रुटिवश नाम अंकित (ANKIT) गलत दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का वास्तविक नाम (ANKESH SHRIWAN) है। जो उसके जन्म प्रमाणपत्र पंजीकरण सं B202405015170000015 में दर्ज है। भविष्य में मेरे पुत्र को ANKESH SHRIWAN S/O CHAMAN LAL के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

चमन लाल पुत्र श्री रामदास  
निवासी ग्राम हड़ियाणा तल्ला  
तहसील घनसाली जिला टिहरी गढ़वाल  
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे पुत्र के आधार कार्ड नंबर 901579071425 में उसका नाम ध्रुव शर्मा (Dhruv Sharma) दर्ज है लेकिन अब निजी कारणों से मैंने अपने पुत्र का नाम ध्रुव शर्मा (Dhruv Sharma) से बदलकर अभिनव शर्मा (Abhinav Sharma) रख लिया है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र रजि. संख्या B202505900690002083 में भी दर्ज है भविष्य में मेरे पुत्र को अभिनव शर्मा (Abhinav Sharma) S/o Arun के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Arun

निवासी गली नं० S3 सेक्टर रोड,  
नियर पंचायत घर, साउथ सिविल लाइन  
रुड़की, जिला—हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 507544354366 में त्रुटिवश मेरा नाम मोहनू (Mohanu) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम मोनू (Monu) है। जो मेरे स्थाई निवास प्रमाण-पत्र सं० UK25ES0100256143 व जाति प्रमाण पत्र संख्या UK25ES0800168733 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे मोनू (Monu) पुत्र शेरू के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

मोनू पुत्र शेरू

निवासी—ग्राम मझगांव क्वानू  
पो०ओ० मझगांव क्वानू देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 788662468818 में त्रुटिवश मेरा नाम राजकुमार उर्फ कर्मवीर (Rajkumar Alis Karambir) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम कर्मवीर (Karmveer) है। जो कि मेरे हाईस्कूल अनुक्रमांक 372607 व पहचान पत्र सं. YRE1193341 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे कर्मवीर (Karmveer) पुत्र श्री मोहन लाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कर्मवीर (Karmveer) पुत्र श्री मोहन लाल  
निवासी—गली नं. 09, राजेन्द्र नगर रुड़की  
जिला—हरिद्वार उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 455357365337 में मेरा नाम त्रुटिवश देवलाल (DEVLAL) दर्ज हो गया है। जबकि मेरे जन्म प्रमाण पत्र B202505015290000007 अनुसार मेरा सही नाम देव सिंह (DEV SINGH) है। भविष्य में मुझे देव सिंह (DEV SINGH) पुत्र श्री कंशर लाल के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

देव सिंह (DEV SINGH) पुत्र श्री कंशर लाल  
निवासी ग्राम कफोल गांव, जिला टिहरी गढ़वाल  
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधार कार्ड नं. 801064991075 में त्रुटिवश मेरा नाम NAGWAGN NEGI alise PASANG TOLMA ROKAYA गलत दर्ज है, जबकि मेरा सही नाम PASANG TOLMA ROKAYA है। जो मेरे पहचान पत्र सं. AJU1721257 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे PASANG TOLMA ROKAYA पत्नी श्री ONCHUNG NEGI के नाम से जाना पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

PASANG TOLMA ROKAYA पत्नी  
ONCHUNG NEGI  
निवासी—मंगलम रेसीडेंसी हेलीपैड के पास,  
सहस्त्रधारा रोड, देहरादून उत्तराखण्ड।

सूचना

My name SOHAN S/O PARMJEET SINGH 229/214 Khurbura mohalla dehradun mentioned in my Aadhar card number-813221574518 and PAN card Number-NOEPS6865G. I have changed my name from SOHAN to Rohan Kumar Singh in future, I may be known and called as ROHAN KUMAR SINGH S/O PARMJEET SINGH.

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

SOHAN (Existing Name)  
S/O PARMJEET SINGH 229/214,  
Khurbura Mohalla Kawali Raod,  
Dehradun Uttarakhand

सूचना

मेरे सेवा अभिलेखों में मेरा नाम कमलवीर दर्ज हैं, जबकि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम कमलवीर सिंह दर्ज है। उपरोक्त दोनों नाम एक ही व्यक्ति अर्थात् मेरे ही नाम है। भविष्य में मुझे कमलवीर सिंह के नाम से जाना पहचाना पहचाना जावे। समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

कमलवीर सिंह पुत्र श्री धर्मवीर सिंह  
निवासी-87/17 नदी रिस्पना, सिमेंट  
रोड, देहरादून उत्तराखण्ड 248001

सूचना

मैं मनीष कुमार पाठक पुत्र कृष्ण कुमार मैंने सन्यास धारण करने के पश्चात अपना नाम मनीष कुमार पाठक से बदलकर स्वामी मनीषा नन्द सरस्वती शिष्य स्वामी रामानन्द सरस्वती रख लिया है। भविष्य में मुझे स्वामी मनीषा नन्द सरस्वती शिष्य स्वामी रामानन्द सरस्वती के नाम से जाना व पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

स्वामी मनीषा नन्द सरस्वती  
शिष्य स्वामी रामानन्द सरस्वती  
निवासी संकट मोचन बालाजी धाम  
आश्रम परम विहार, रोशनाबाद हरिद्वार।

सूचना

मेरे हाईस्कूल प्रमाणपत्र अनुक्रमांक 0388542 में मेरा नाम हेमलता ओली दर्ज हैं जबकि मेरे पुत्र शार्दूल तिवारी के शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम हेमलता ओली तिवारी दर्ज है जिसे हेमलता ओली समझा जाए। हेमलता ओली तिवारी उर्फ हेमलता ओली दोनों मेरे ही नाम है।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

हेमलता ओली पत्नी श्री दिनेश चंद्र तिवारी  
निवासी दमुवाढूंगा, वार्ड नंबर 6,  
हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरे आधारकार्ड नं० 648209525084 में त्रुटिवश मेरा नाम उम्मेद सिंह (UMMED SINGH) गलत दर्ज हो गया है। जबकि मेरा वास्तविक नाम हुमेत सिंह (HUMET SINGH) है। जो मेरे जन्म प्रमाण पत्र पंजीकरण सं० B202505018980000004 व पहचान पत्र नं० XOC0359513 में भी दर्ज है। भविष्य में मुझे हुमेत सिंह (HUMET SINGH) पुत्र स्व० पूरण सिंह के नाम से जाना-पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

हुमेत सिंह (HUMET SINGH) पुत्र स्व० पूरण सिंह  
निवासी—ग्राम मोटना टिहरी, गढ़वाल ओखला  
उत्तराखण्ड।